

सेवा में,

एचओपीओ सिंह
विशेष सचिव
उपप्रो शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उपप्रो, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं नरोधी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 02 ^{जुलाई} जू, 2015

विषय:- शहरी गरीबों के लिये अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 से जनपद-रामपुर के निकाय-टाण्डा में 263 इन-सीट आवासों की 01 परियोजना की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3416/101/10/छ:/विधि/आसरा/तकनीकी(रामपुर-टाण्डा-263) दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में "आसरा योजना" (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 में निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित जनपद-रामपुर की निकाय-टाण्डा की 263 इन-सीट आवासों की 01 परियोजना हेतु ₹0 1388.48 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित तालिका के स्ट्रम्ब-7 में अंकित प्रथम किशत के रूप में परियोजना लागत का 40 प्रतिशत अर्थात् कुल धनराशि ₹0 555.392 लाख (रुपये पांच करोड़ पचपन लाख उनतालीस हजार दो सौ मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	जनपद/निकाय का नाम	कुल आवासीय संख्या	अवस्थापना सुविधाओं सहित परियोजना की कुल आवासीय लागत	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की संख्या	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के अवस्थापना सुविधाओं सहित परियोजना की कुल आवासीय लागत	प्रथम किशत (40 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (सेन्टेज चार्ज एवं लेबर सेत सहित)
1	2	3	4	5	6	7
1	रामपुर/टाण्डा	263	1388.48	263	1388.48	555.392
योग				263	1388.48	555.392

- उक्त धनराशि का व्यय आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या- 33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2014 एवं शासनादेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी) दिनांक 09 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी।
- प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों के आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा। साथ ही नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रो. रामपुर/जु. 02/15/16/EE


7/1/15

31/1/15

4. उक्त धनराशि का प्रयोग/आवृत्तता केवल एवं मूल्यवर्धन के लिए/देना का ही प्रयोजन करीबी शर्तों के अधीन शर्तों/परिचयों के अधीन प्रायोजक/कार्य विहित शर्तों के अन्तर्गत आवेगी। योजना/योजना के अन्तर्गत कोषपाल, आन्वयिक एवं अन्य में विरती प्रकार का परिवर्तन अनुमत्त नहीं होगा।
5. उक्त धनराशि जिसे कार्य/सद में स्वीकृत की जा रही है, उसके अन्तर्गत देना की शर्तों के अधीन किया जाये। साजगो/आवृत्तों का प्रत्येक वित्तीय विवरण का अनुमत्त किया जायेगा। योजना/योजना के अन्तर्गत व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं विरती प्रकार का प्रत्येक परिवर्तन अनुमत्त नहीं होगा।
6. सूडा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किए जा रहे हुए कार्य हेतु पूर्ण की योजना/योजना अथवा किसी अन्य शर्त से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आवृत्तित परिवर्तन के अन्तर्गत शर्तों एवं शर्तों की दिरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे सूडा/इडा द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-कार्य बदला, कार्य के आकार/रीकार में वृद्धि एवं अन्य विशेषियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किए बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्य की कार्यदायी सस्था द्वारा/जनराशि स्वीकृति निर्मित करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर व्यय वित्त समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत को प्रस्ताव पर दिवार नहीं किया जायेगा।
8. निर्माण कार्य आरम्भ करने के पूर्व इन-सौद आवृत्तों के भू-स्वामीयों के भू-स्वामीयों का स्थायी अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
9. सूडा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आवास योजना/योजना आवासों के निर्माण से सम्बन्धित मानकीकरण के अनुसार ही आयत बनाये जाय व व्यय वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
10. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभिकरण व सम्बन्धित इडा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवादों का सक्रम स्तरीय निराकरण करकर गुणवत्ता आदि बिन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्पश्चात् सम्बन्धित इडा/उपरोक्त माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।
11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), 30प्र0, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक सप्ते के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपोजिट खाते व पीएसबी/पीएचबी से करी 2वीं जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की समेत की करों की करों की सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।
14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जाय। योजनान्तर्गत प्रथम वित्त के रूप में स्वीकृत उक्त धनराशि की 75 प्रतिशत धनराशि व्यय हो जाने के पश्चात् तथा उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति/गुणवत्ता से संतुष्ट होने के पश्चात् उपरोक्त प्रमाण-पत्र

शासन को राज्य से उपलब्ध कराया जायेगा। तदनुसार योजना की 40 प्रतिशत धनराशि द्वितीय किशत के रूप में अवमुक्त की जायेगी। प्रथम एवं द्वितीय किशत की सम्मिलित धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग होने पर 15 प्रतिशत धनराशि तृतीय किशत के रूप में अवमुक्त की जायेगी। निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता, यथास्थिति, नियंत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयध्यक्ष द्वारा सत्यापित किये जाने के पश्चात ही द्वितीय एवं तृतीय किशत की धनराशि जारी की जायेगी। परियोजना का कार्य पूर्ण होने तथा कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक होने पर ही बकाया 5 प्रतिशत की अवशेष धनराशि जारी की जायेगी। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।


15. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य करायेंगे।
16. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथाव्यवस्था धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व अनुबन्ध (एच0ओ0ए0) निष्पादित किये जाने हेतु सूझा द्वारा सम्बन्धित इकाई को निर्देशित किया जायेगा।
2. उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-शहरी आवास-800-अन्य व्यय-03-आसरा योजना (आवासीय भवन)-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-ई-8-1817/दस-2015 दिनांक 23 जून, 2015 में प्राप्त उनकी सहायता से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

 (एच0पी0 सिंह)
 विशेष सचिव।

संख्या-567/2015/935(1)/69-1-14, तद्विनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 30प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, रामपुर।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, 30प्र0 शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूझा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. आई पीएल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आजा से,

 (एच0पी0 सिंह)
 विशेष सचिव।